



अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 09.09.2024 को
आयोजित लोक अदालत में रखें।



अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद की अवधि छः
मास से अधिक हो गई तथा उभय पक्षों के बीच कोई
अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अतः राष्ट्रीय लोक
अदालत 2021 में इस वाद को समाप्त किया जाता है
तथा अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है।



अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।